



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: ४५ -औ०सं०/उनिलि/2024-53(21)/औ०सं०/उनिलि/2023

दिनांक: २५/०१/२०२४

मुख्य महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर) तापीय परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०,  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), (तापीय परिचालन/पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/  
आर०एण्ड एम०/प्रगति/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक उनिलि, लखनऊ।

कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

अधी०अभि०/उ०म०प्र० (मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६/टावासे/प्रशि०/रिफार्म/ले०प्रशा०) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय:- उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा के अधिसूचना सं० 2548/24-पी-2-2023-1(121)/04 दिनांक 18.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहे, जिसके अनुसार सूचित किया है कि उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सहित सभी ऊर्जा निगमों के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी परियोजना/अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अपने अधिनस्थ सभी कार्मिकों को अधिसूचना से अवगत करायेगे एवं उक्त अधिसूचना की प्रति कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। कृपया उपरोक्त के संदर्भ में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रखर गोस्वामी)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ०सं०)

संख्या: ४५ /औ०सं०/उनिलि/2024-53(21)/औ०सं०/उनिलि/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, प्रगति को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति निगम वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

*Prakhar*  
25/01/24

(प्रखर गोस्वामी)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ०सं०)